बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

वेबसाइट:- bsbccl.bihar.gov.in

BSBCCL

Build Green, Live Green!

CIN:U45200BR2008SGC013513

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)

Website:- bsbccl.bihar.gov.in

पत्रांक:-बी0एस0बी0सी0सी0एल0-313/2018(प्रशासन) 4604 दिनांक:-12/11/26

वाहन नीलामी सूचना:-

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के वाहन संख्या-BR-01PE-7550 (बोलेरो) का निलामी प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। वाहन की विवरणी निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	वाहन का नाम	वाहन का निबंधन संख्या	चेंचिस संख्या	इंजन संख्या	न्यूनतम निर्धारित मूल्य
1.	बोलेरो (स्टाफ कार)	BR-01PE-7550	MA1PL2GPKD2E62459	GPD4E62063	रू 1,00,000/-

इस हेतु आवेदन पत्र सभी सुसंगत अभिलेख तथा डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के कार्यालय में दिनांक- 07.12.2026 के अपराह्न 03:00 बजे तक जमा कराया जा सकता है। नीलामी उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के कार्यालय कक्ष में दिनांक-08.12.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे किया जाएगा। नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी एवं शर्ते निगम के वेबसाईट पर देखी जा सकती है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/शुद्धि-पत्र निगम के वेबसाईट www.bsbccl.bihar.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।

12/11/26

मुख्य महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,

पटना।

BSBCCL
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
वेबसाइट:- bsbccl.bihar.gov.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
(A Government of Bihar Undertaking)
Website:- bsbccl.bihar.gov.in

वाहन नीलामी सूचना :-

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के वाहन संख्या-BR-01PE-7550 (बोलेरो) का निलामी प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। वाहन की विवरणी निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	वाहन का नाम	वाहन का निबंधन संख्या	चेंचिस संख्या	इंजन संख्या	न्यूनतम निर्धारित मूल्य
1.	बोलेरो (स्टाफ कार)	BR-01PE-7550	MA1PL2GPKD2E62459	GPD4E62063	रू 1,00,000/-

नीलामी की शर्ते :-

1. उपरोक्त वर्णित वाहन ''जहाँ है जिस स्थिति में है'' के आधार पर नीलामी की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान निगम मुख्यालय परिसर में आकर वाहन का निरीक्षण कर सकते है।
2. उक्त आवेदन पत्र सभी सुसंगत प्रपत्र तथा डीमाण्ड ड्रॉफ्ट के साथ उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के कार्यालय में दिनांक-07.12.2026 के अपराह्न 03:00 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
3. नीलामी उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, हॉस्पीटल रोड, शास्त्री नगर, पटना-800023 के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-08.12.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे किया जाएगा।
4. नीलामी डाक प्रारंभ होने से पूर्व इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रू 10,000/- (दस हजार रूपये) मात्र का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट, जो उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के नाम से होगा, को आवेदन के साथ जमा करना होगा।
5. सभी आवेदकों का उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के नाम से एक आवेदन देना होगा, जिसके साथ आवेदक का फोटो पहचान-पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि) तथा आवासीय पता हेतु वैद्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति आवेदक को वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. नीलामी के समय नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों का आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/पैन कार्ड/राशन कार्ड मूल में लाना आवश्यक होगा।
8. वाहन हेतु निर्धारित मूल्य से कम राशि पर वाहन की नीलामी नहीं की जाएगी।
9. उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर शेष राशि (जमानत की राशि घटाकर) का डीमाण्ड ड्राफ्ट जो उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना बिहार राज्य भवन निर्माण

निगम लि0 के नाम से होगा, जमा करते हुए वाहन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। एक सप्ताह के अंदर शेष राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन की दावेदारी अमान्य करते हुए पुनः नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10. नीलामी में असफल होने वाले व्यक्तियों का अग्रधन से संबंधित डीमाण्ड ड्राफ्ट उसी समय वापस कर दी जाएगी।
11. नीलामी के पश्चात् वाहन को निगम परिसर से ले जाने का खर्चा नीलामी में सफल हुए व्यक्ति को ही वहन करना पड़ेगा।
12. मोटर यान निरीक्षक के पत्रांक-463, दिनांक-22.09.2026 द्वारा उक्त वाहन को आर्थिक एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से मरम्मति कराकर प्रयोग लायक उचित नहीं पाया गया है। इस प्रकार वाहन को निष्प्रयोजित करने का निर्णय लिया गया।
13. नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकुल सभी करें (यदि कोई हो) का अलग से भुगतान करना होगा।
14. नीलामी प्रक्रिया को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

12/11/26

मुख्य महाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।